पेंशन अधिनियम, 1871

(1871 का अधिनियम संख्यांक 23)

[8 अगस्त, 1971]

पेंशन और सरकार द्वारा धन या भू-राजस्व के अनुदान से सम्बद्ध विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियम

उद्देशिका—यत: पेंशन और सरकार द्वारा धन या भू-राजस्व के अनुदान से सम्बद्ध विधि को समेकित और संशोधित करना समीचीन है ;

अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

I—प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम [1]पेंशन अधिनियम, 1871 है ;

[2][जहां तक इसका संबंध संघ की पेंशनों से है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और जहां तक इसका संबंध अन्य पेंशनों से है, इसका विस्तार] [3][उन राज्यक्षेत्रों] [4][के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है [3][जो 1 नवम्बर, 1956 के ठीक पहले भाग ख राज्यों में समाविष्ट थे]] ।

[5]* * * * *

[6]* * * * *

2. [अधिनियमों का निरसन । नियमों की व्यावृत्ति ।]—निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित ।

3. निर्वचन धारा—इस अधिनियम में, "धन या भू-राजस्व के अनुदान" अभिव्यक्ति के अन्तर्गत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, परिलब्धि या पद के बारे में सरकार द्वारा कुछ भी, देय है, आता है ।

[7][**3क. परिभाषा**—"समुचित सरकार" अभिव्यक्ति से [8][संघ] पेंशनों के संबंध में केन्द्रीय सरकार और अन्य पेंशनों के संबंध में राज्य सरकार अभिप्रेत है ।]

2—पेंशन का अधिकार

4. पेंशन से सम्बद्ध वादों का वर्जन—इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित के सिवाय, कोई सिविल न्यायालय विद्यमान [9][सरकार द्वारा या] किसी भूतपूर्व सरकार द्वारा प्रदत्त किसी पेंशन अथवा दिए गए धन या भू-राजस्व के अनुदान से सम्बद्ध किसी वाद को ग्रहण नहीं करेगा, चाहे ऐसी किसी पेंशन या अनुदान का कोई भी कारण रहा हो, और चाहे ऐसे किसी संदाय, दावे या अधिकार की, जिसके बदले में ऐसी पेंशन या अनुदान दिया गया है, कोई भी प्रकृति रही हो ।

5. कलक्टर, उपायुक्त या अन्य प्राधिकृत अधिकारी को दावों का किया जाना—कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसी किसी पेंशन या अनुदान के संबंध में दावेदार है, जिला कलक्टर को या उपायुक्त को या [10][समुचित सरकार] द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य अधिकारी

---

[1] इसे उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए 1922 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 12 द्वारा संशोधित किया गया । 1948 के बंगाल अधिनियम सं० 7 द्वारा पश्चिमी बंगाल में भागत: निरसित किया गया ।

1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अधिनियम दादरा और नागर हवेली पर (1-7-1965 से) विस्तारित और लागू किया गया और 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा लक्षद्वीप के संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र पर (1-10-1967 से) विस्तारित किया गया ।

1955 के मैसूर अधिनियम सं० 14 द्वारा बेल्लारी जिले पर लागू करने के लिए अधिनियम निरसित किया गया ।

[2] 1882 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 द्वारा "इसका विस्तार" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ख राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "भारत के सभी प्रान्तों में" जिसे विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा "संपूर्ण ब्रिटिश भारत" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था, के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा "और यह उसके पारित होने की तारीख से प्रवृत्त होगा" शब्द निरसित किए गए ।

[6] 1891 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा "लेकिन पेंशन या धन के अनुदान या भू-राजस्व संबंधी किसी वाद को जो ऐसी तारीख से पूर्व संस्थित किया गया हो, प्रभावित न करेगा," शब्द निरसित किए गए ।

[7] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अन्त:स्थापित ।

[8] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "परिसंघ" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[9] संवैधानिक आदेश सं० 29 द्वारा यथा संशोधित विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "ब्रिटिश या" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[10] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

को ऐसा दावा कर सकेगा, और ऐसा कलक्टर, उपायुक्त या अन्य अधिकारी उस दावे का निपटारा उन नियमों के अनुसार करेगा, जिन्हें मुख्य राजस्व प्राधिकारी, [1][समुचित सरकार] के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, इस निमित्त समय-समय पर विहित करे ।

6. दावों का संज्ञान करने के लिए सिविल न्यायालय का सशक्त होना—कोई ऐसा सिविल न्यायालय जो ऐसे दावों का विचारण करने के लिए अन्यथा सक्षम है, ऐसे कलक्टर, उपायुक्त या उस निमित्त प्राधिकृत अन्य अधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर कि मामले का इस प्रकार विचारण किया जाए, ऐसे किसी दावे का संज्ञान करेगा, किन्तु वह किसी भी वाद में ऐसा कोई आदेश या डिक्री नहीं करेगा जिसके द्वारा यथापूर्वोक्त ऐसी किसी पेंशन या अनुदान का संदाय करने के संबंध में सरकार के दायित्व पर प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: प्रभाव पड़ता हो ।

7. शाश्वतिक अनुदान के अधीन धारित भूमि के लिए पेंशन—धारा 4 और 6 की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी :—

(1) 1862 का मद्रास अधिनियम संख्यांक 4[2] की धारा 1 में निर्दिष्ट वर्ग का कोई इनाम ।

(2) ऐसे राज्यक्षेत्रों में जो, क्रमश: बंगाल और पश्चिमोत्तर प्रान्तों के उपराज्यपालों के अधीन थे, सरकार द्वारा इससे पूर्व दी गई ऐसी पेंशनें जो शाश्वतिक अधिकार प्रदत्त करने का तात्पर्य रखने वाली सनदों के अधीन धारित भूमियों के किसी भारतीय सरकार द्वारा पुनर्ग्रहण कर लेने से हुई हानि के लिए पूर्णत: या भागत: क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई थीं । ऐसी पेंशनों का, आदाता की मृत्यु पर पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकेगा, किन्तु ऐसी प्रत्येक पेंशन का अन्य संक्रामण किया जा सकेगा तथा वह विरासत में मिल सकेगी और इसके लिए उसी रीति से वाद लाया जा सकेगा और वसूली की जा सकेगी जैसी कि किसी अन्य सम्पत्ति के लिए है ।

3—संदाय का ढंग

8. कलक्टर, उपायुक्त या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संदाय का किया जाना—सभी पेंशन अथवा सरकार द्वारा धन या भू-राजस्व के अनुदान का संदाय कलक्टर या उपायुक्त या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे नियमों के अधीन किया जाएगा जैसे मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विहित किए जाएं ।

9. भू-राजस्व की वसूली से सम्बद्ध अधिकारों की व्यावृत्ति—धारा 4 और 8 की कोई बात भू-राजस्व के ऐसे प्राप्तिकर्ता के, जिसके ऐसे अनुदान का दावा सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, उन व्यक्तियों से जो भू-लगान की वसूली से सम्बद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन भू-राजस्व का संदाय करने के दायी हैं, उस राजस्व को वसूल करने के अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

10. पेंशन का संराशीकरण—[3][समुचित सरकार,] धारक की सम्मति से उसकी सम्पूर्ण पेंशन अथवा धन या भू-राजस्व के अनुदान या उसके किसी भाग को ऐसे निबन्धनों पर, जैसे वह ठीक समझे, एकमुश्त राशि से संराशित करने का आदेश कर सकेगी ।

4—प्रकीर्ण

[4]**11. पेंशन को कुर्की से छूट**—राजनीतिक कारणों से या पिछली सेवाओं अथवा वर्तमान अंग शैथिल्य के कारण या अनुकम्पा भत्ते के रूप में सरकार द्वारा दी गई या जारी रखी गई कोई भी पेंशन,

और ऐसी किसी पेंशन या भत्ते के मद्दे शोध्य या शोध्य होने वाला कोई भी धन,

पेंशन-भोगी के विरुद्ध किसी मांग के संबंध में, या ऐसे [5]*** किसी न्यायालय की डिक्री अथवा आदेश की तुष्टि में, लेनदार के अनुरोध पर किसी न्यायालय की आदेशिका द्वारा, अभिगृहीत, कुर्क या परिबद्ध नहीं किया जा सकेगा ।

[6][यह धारा [5]*** ऐसी पेंशनों को भी लागू होती है जो बर्मा के भारत से पृथक् हो जाने के पश्चात् बर्मा सरकार द्वारा[7] दी गई थीं या जारी रखी गई थीं ।

12. पेंशन की प्रत्याशा में किए गए समनुदेशन, आदि का शून्य होना—धारा 11 में वर्णित किसी पेंशन, वेतन या भत्ते के हकदार व्यक्ति द्वारा किए गए ऐसे सब समनुदेशन, करार, आदेश, विक्रय और हर प्रकार की प्रतिभूतियां जिनका किसी ऐसे धन से

---

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] अर्थात् "इनाम आयुक्त द्वारा बंधनमुक्त किए गए या किए जाने वाले और शाश्वत अबाध-धृति या शाश्वत पूर्ण अबाध-धृति में संपरिवर्तित, 1831 के (मद्रास) विनियम सं० 4 की धारा 2 के खण्ड 1 में वर्णित वर्ग के इनाम" । इस प्रकार वर्णित किए गए वर्ग हैं, "राज्य के प्रति की गई सेवाओं या कार्यभार पुनर्ग्रहण करने या विशेषाधिकारों के प्रतिफलस्वरूप या सरकारी अधिकारियों द्वारा समपहृत या कुर्की के अन्तर्गत धृत जमींदारियों या पालीयामों के बदले में गवर्नर-इन-काउन्सिल के प्राधिकार द्वारा, किसी भी अभिधान तक, प्रदत्त [या किसी देशी सरकार द्वारा दिए जाते रहने के कारण, 1836 के अधिनियम सं० 31 के अधीन ब्रिटिश सरकार द्वारा पुष्ट किया गया या जारी रखा गया] आनुवंशिक या व्यक्तिगत अनुदान, या यौमिया अथवा धर्मार्थ भत्ते के रूप में या पेंशन के रूप में, धन या भू-राजस्व" ।

[3] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 60 का खण्ड (छ) भी देखिए ।

[5] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "भाग क राज्यों और भाग ग राज्यों में" शब्दों का लोप किया गया ।
विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा "ब्रिटिश भारत" के स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए "प्रान्तों" के स्थान पर विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "भाग क राज्य और भाग ग राज्य" शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे ।

[6] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अन्त:स्थापित ।

[7] अर्थात् 1 अप्रैल, 1937 से या उसके पश्चात् ।

सम्बन्ध है जो, किसी ऐसी पेंशन, वेतन या भत्ते के मद्दे, उनके किए जाने के समय या पूर्व देय न हो, अथवा जो उसमें कोई भावी हित प्रदान करने या उसका समनुदेशन करने के लिए हों, अकृत और शून्य हैं ।

[1][**12क. पेंशन मद्दे बकाया धन प्राप्त करने के लिए पेंशनभोगी द्वारा नामनिर्देशन**—धारा 12 में या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) कोई व्यक्ति, जिसे धारा 11 में वर्णित कोई पेंशन भारत सरकार द्वारा या भारत की संचित निधि में से संदेय है (ऐसे व्यक्ति को इसमें इसके पश्चात् पेंशनभोगी कहा गया है), किसी अन्य व्यक्ति को (जिसे इसमें इसके पश्चात् नामनिर्देशिती कहा गया है), पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात् ऐसे सभी धन प्राप्त करने के लिए, जो पेंशन भोगी को ऐसे नामनिर्देशन की तारीख को, उसके पूर्व या उसके पश्चात् ऐसी पेंशन मद्दे संदेय हैं और जो पेंशनभोगी की मृत्यु के ठीक पूर्व असंदत्त रहते हैं, ऐसी रीति से और ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार नियमों द्वारा विहित करे, नामनिर्देशित कर सकेगा ; और

(ख) नामनिर्देशिती, पेंशनभोगी की मृत्यु पर अन्य सभी व्यक्तियों का अपवर्जन करके ऐसे सभी धन, जो इस प्रकार असंदत्त रह गए हैं, प्राप्त करने के लिए हकदार होगा :

परन्तु यदि नामनिर्देशिती की मृत्यु पेंशनभोगी से पहले हो जाती है, तो नामनिर्देशन, जहां तक उसका संबंध उक्त नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार से है, शून्य और प्रभावहीन हो जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां नामनिर्देशन में, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, सम्यक् रूप से ऐसा उपबन्ध किया गया है जिसके अनुसार नामनिर्देशिती की मृत्यु पेंशनभोगी से पहले हो जाने की दशा में, वे सभी धन जो इस प्रकार असंदत्त रह गए हैं, प्राप्त करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान किया गया है, वहां ऐसा अधिकार, नामनिर्देशिती की पूर्वोक्तानुसार मृत्यु हो जाने पर, ऐसे अन्य व्यति को संक्रांत हो जाएगा ।]

13. इत्तिला देने वाले को इनाम—कोई ऐसा व्यक्ति जो [2][समुचित सरकार] के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि कोई पेंशन उसके फायदे का उपभोग करने वाले व्यक्ति द्वारा कपटपूर्वक या असम्यक् रूप से प्राप्त की गई है, ऐसे इनाम का हकदार होगा, जो ऐसी पेंशन की छह मास की अवधि की रकम के समतुल्य हो ।

14. नियम बनाने की शक्ति—[3][प्रत्येक राज्य में] मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी [2][समुचित सरकार] की सम्मति से, निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी विषय के बारे में और साधारणत: इस अधिनियम के अधीन अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए इस अधिनियम से संगत नियम, समय-समय पर, बना सकेगा :—

(1) स्थान जहां, तथा समय जब, और व्यक्ति जिसे, किसी पेंशन का संदाय किया जाएगा ;

(2) दावेदारों की पहचान के बारे में जांच ;

(3) पेंशनों के विषय में रखे जाने वाले अभिलेख ;

(4) ऐसे अभिलेखों का पारेषण ;

(5) ऐसे अभिलेखों की शुद्धता ;

(6) पेंशन-भोगियों को प्रमाणपत्रों का परिदान ;

(7) ऐसे प्रमाणपत्रों के रजिस्टर ;

(8) धारा 6 के अधीन सिविल न्यायालय को ऐसे व्यक्तियों का निर्देश जो सरकार द्वारा देय पेंशन अथवा धन या भू-राजस्व के अनुदान के उत्तराधिकार या उसमें हिस्सा लेने के अधिकार का दावा करते हैं ।

ऐसे सब नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और तदुपरि वे विधि का बल रखेंगे ।

[4][**15. नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति**—केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी का उपबन्ध करने के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात् :—

(क) वह रीति जिससे और वह प्ररूप जिसमें धारा 12क के अधीन कोई नामनिर्देशन किया जा सकेगा तथा वह रीति जिससे और वह प्ररूप जिसमें ऐसे नामनिर्देशन को किसी अन्य नामनिर्देशन द्वारा रद्द या परिवर्तित किया जा सकेगा ;

(ख) वह रीति, जिससे नामनिर्देशिती संदेय धन, उस दशा में जिसमें नामनिर्देशिती की मृत्यु पेंशनभोगी से पहले हो जाती है, प्राप्त करने का अधिकार नामनिदेशिती से भिन्न किसी व्यक्ति को प्रदान किए जाने के लिए ऐसे किसी नामनिर्देशन में, धारा 12क के द्वितीय परंतुक के प्रयोजनों के लिए, उपबंध किया जाए ।

---

[1] 1982 के अधिनियम संख्यांक 20 की धारा 3 द्वारा अन्त:स्थापित ।

[2] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अन्त:स्थापित ।

[4] 1982 के अधिनियम संख्यांक 20 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।

16. नियमों का रखा जाना—इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और केन्द्रीय सरकार की सम्मति से धारा 14 के अधीन मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

[अनुसूची ।]—निरसन अधिनियम, 1938 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित ।

———